बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त ।

(भाग 1--कार्यवाही प्रश्नोत्तर) ।

शुक्रवार, तिथि 18 मार्च, 1983 ई० ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ ।
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचित प्रश्नोत्तर सं० 24, 26 एवं 27	1—8
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 7, 367, 674, 675, 676, 677, 678, 679 एवं 680 ।	9—24
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	25—86
दैनिक निबंध	87

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

नियुक्ति में अनियमितता।

*7. श्री सूरज मण्डल--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत देवघर एवं जामताड़ा केन्द्रीय सहकारिता बैंक में अवैध ढंग से 1980-81 में नियुक्तियां की गई ह जिसमें आदिवासी-हरिजन के आरक्षण की नीति का पालन नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियुक्तियों में से अधिकांश संथाल परगना जिला के बाहर के निवासी हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवैध नियुक्तियों को रद्द कर पुनः नियमानुसार नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्री दिलकेश्वर राम—(1) दो व्यक्तियों को बैंक के कार्यालय में नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आठ ऋण वसूली अनुसेवकों को दैनिक मजदूरी पर अल्पावधि के लिये नियुक्त किया गया है।

(2) उत्तर नकारात्मक है। इन नियुक्त व्यक्तियों में से आठ संथाल परगना जिले के निवासी हैं।

(3) खंड (1) एवं (2) में वर्णित स्थिति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सूरज मंडल—अध्यक्ष महोदय, दस आदमियों की जो बहाली हुई उसमें से आठ आदमियों के नाम दिये हैं कि वे संथाल परगना से बाहर के हैं। मैं सरकारी उत्तर को चैलेंज करता हूं। आठ आदमी संथाल परगना से बाहर के हैं जिनको तीन सौ रुपये महीना पेमेन्ट हो रहा है। 1981 से और 1983 में उनको रेगुलर करने की कार्रवाई चल रही है, यह बात सत्य है कि नहीं ?

श्री दिलकेश्वर राम—अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है उनकी सूची मैंने मंगायी। सूची देखने से जाहिर होता है कि एक व्यक्ति भागलपुर के हैं, एक मुजफ्फरपुर के हैं और बाकी 8 संथाल परगना के हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जब अगर पूछा है तो मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

श्री सूरज मंडल--मैंने स्पेसिफिक नाम और पता उनका दिया है। मैं चुनौती देता हूं कि मंत्री जी का नाम और पता गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी की नीति संबंधी घोषणा हो गयी है कि अगर दैनिक मजदूर में भी आरक्षण के खिलाफ काम हुआ है उसपर भी कार्रवाई की जायेगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आरक्षण के खिलाफ जो काम हुआ है ये उसपर कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष—इन्होंने पूछा है, मुख्य मंत्री की घोषणा 1980 से प्रभावित हो रहा हैं, 1980 से कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री दिलकेश्वर राम—अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

अध्यक्ष—सूचना देने पर जांच करवा दीजिएगा।

श्री सूरज मंडल—अध्यक्ष महोदय, जांच कौन करेगा ?

अध्यक्ष—रजिस्ट्रार जांच करेंगे।

श्री सूरज मंडल—लेकिन हमारी उपस्थिति में जांच हो।

श्री दिलकेश्वर राम—करेंगे।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, रजिस्ट्रार जांच करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं० म-8 के संबंध में चर्चा।

श्री रमेश झा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंगलवार को इसका जवाब देने में मैं समर्थ हो रहा हूं इसलिए उस दिन का समय दिया जाए।

अध्यक्ष—ठीक है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई।

367. श्री सूरज मंडल—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1982 में सोनपुर मेला के अवसर पर 67 (सरसठ) नाव का एक पुल गंडक नदी पर सोनपुर में बनाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल में सबसे कम निविदादाता को पुल का ठीका नहीं देकर समाहर्ता, सारण के विरोध के बावजूद नियम के विपरीत सबसे ज्यादा दर देनेवाले ठीकेदार को ठीका दिया गया जिससे सरकार को पांच लाख अधिक भुगतान करना पड़ा;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऊंची दर पर ठीका देनेवाले पदाधिकारी एवं अभिकर्ता पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो क्यों ?